

P.P-438-
18-11-21

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
29/10/21	न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा राज्यसात वाद सं० -19/2020-21 जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा बनाम TRUCK Reg. No.-UP64AT-7809(वाहन मालिक श्री अनिल कुमार) <u>आदेश</u> यह वाद जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा के पत्रांक 489/एम०, दिनांक 07.9.2020 द्वारा केतार थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 में ग्राम पाचाडूमर थाना केतार स्थित बालूघाट से अवैध खनन एवं परिवहन में जब्त TRUCK Reg. UP64AT-7809 के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारम्भ किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा से प्रतिवेदन की मांग की गई। तत्पश्चात जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 में उक्त जब्त वाहन मालिक को सूचना निर्गत किया गया। थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 में उक्त जब्त TRUCK Reg. UP64AT-7809 के मालिक श्री अनिल कुमार की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। जवाब में उनका कहना है कि विपक्षी के विरुद्ध राज्यसात का यह वाद बिल्कुल अनावश्यक,	



आधारहीन एवं Recall किये जाने योग्य है एवं प्रश्नगत ट्रक विपक्षी के पक्ष में मुक्त कर दिया जाना उचित होगा। जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा विपक्षी के विरुद्ध JMMC Act 2017 के नियम 54 एवं MMDR Act 1957 की धारा 21 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि ट्रक खाली था एवं खाली ट्रक को जब्त नहीं किया जा सकता है। विपक्षी का पूर्व में अवैध खनन का कोई मामला नहीं रहा है। इस वाद में CJM, Garhwa द्वारा कोई राज्यसात का आदेश पारित नहीं किया गया है। अतएव उक्त जब्त वाहन का राज्यसात करना अवैध एवं गैरकानूनी है। साथ ही उनके द्वारा इस वाद में विपक्षी के विरुद्ध निर्गत नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा के द्वारा राज्यसात करने का प्रस्ताव कानूनी रूप से गलत है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी कहा गया है कि वाहन चालक वाहन मालिक के जानकारी के बिना ही वाहन को नदी के किनारे ले गया था, परन्तु जब उसको पता चला कि उसे नदी से बालू का परिवहन करना है, तो उसके द्वारा ऐसा करने से इंकार कर दिया गया। वाहन पर बालू लोड नहीं किया गया। यदि जब्त वाहन को विपक्षी के पक्ष में मुक्त कर दिया जाता है, तो विपक्षी न्यायालय के आदेश से Indemnity Bond देने को तैयार हैं। उन्होंने कार्यवाही को गलत करार देते हुए वाद को समाप्त करने एवं जब्त वाहन विपक्षी (वाहन मालिक) को सुपूर्द करने के लिए अनुरोध किया है।

J/

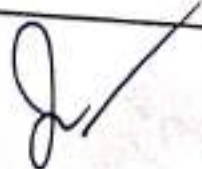
जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा की ओर से दाखिल लिखित तथ्य का अवलोकन किया। दाखिल लिखित तथ्य में उनका कहना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (कोलकाता बेंच) द्वारा निर्गत आदेश संख्या OA no. 120/2016 EZ दिनांक 17.8.2016 के अनुसार 10.6.2020 से 15.10.2020 तक बालू उत्खनन के लिए रोक था, परन्तु जॉच के क्रम में उक्त वाहन TRUCK Reg. UP64AT-7809 उत्खनन स्थल पर पाया गया। उक्त अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध केतार थाना में थाना कांड संख्या 48/2020 दर्ज किया गया। केतार थाना में दर्ज कांड केवल JMMC के नियम 54 एवं MMRD Act की धारा 21 के अंतर्गत ही नहीं, बल्कि भा0द0वि0 की धारा 379/411/420/120B एवं 34 के अन्तर्गत भी दर्ज है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी श्री अनिल कुमार के विरुद्ध JMMC में निहित नियम एवं MMRD Act का अवमानना के साथ-साथ खनिज सम्पदा की चोरी का भी मामला है। लिखित तथ्य में आगे उनका यह भी कहना है कि माईनिंग लीज में निहित शर्तों का उल्लंघन करना धारा 4 में निहित प्रावधानों का अवमानना है जो MMDR की धारा 21 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। विपक्षी द्वारा दोषमुक्त हेतु बनाया गया आधार कानून की दृष्टि में धारणीय नहीं है। W.P(MD)N0.19936 of 2017, 7595 एवं 21485 of 2018 दिनांक 28.10.2018 Muthu Vs District Collector and Other का हवाला देते हुए लिखित तथ्य में उनके द्वारा उद्धृत किया गया है कि MMDR Act की धारा 21(4) के



अन्तर्गत अवैध खनन में लिप्त किसी भी वाहन, उपकरण या औजार को जब्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी में शक्ति निहित है तथा न्यायालय आदेश द्वारा उक्त वाहन, उपकरण, औजार या खनिज पदार्थ राज्यसात के योग्य होता है। जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा उक्त वाहन का हस्ताक्षर युक्त Photographs भी समर्पित किया गया है तथा अपने लिखित तथ्य में थाना कांड संख्या 48/2020 के तहत अवैध खनन में लिप्त उक्त जब्त वाहन का राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वाद के त्वरित निस्तार हेतु पुलिस अधीक्षक गढ़वा से केतार थाना कांड संख्या-48/2020 दिनांक 15.6.2020 के तहत दर्ज प्राथमिकी के अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई। परन्तु बार-बार स्मार के बावजूद भी प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। तत्पश्चात लोक अभियोजक, जिला खनन पदाधिकारी एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि विपक्षी कानूनन दृष्टिकोण से निर्दोष है। विपक्षी का वाहन खाली था। प्रावधान के अनुसार खाली वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता है। जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा का लिखित तथ्य में यह कहना कि वाहन को अवैध रूप से बालू का परिवहन करने के क्रम में जब्त किया गया है, निराधार एवं सत्यता से परे है। जब्त वाहन द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अवैध उत्खनन,



परिवहन या अवैध रूप से बालू का भंडारण नहीं किया गया है। साथ ही किसी के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन नहीं देखा गया है। वाहन पर बालू लोड नहीं था। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि इस कांड के अभियुक्त श्री अनिल कुमार को व्यवहार न्यायालय, गढ़वा के द्वारा Ketar PS Case No. 48 of 2020 से संबंधित Misc Cri App-1282/2021 में दिनांक 03.07.2021 को पारित न्यायादेश से जमानत भी मिल गया है। उक्त आदेश की प्रति उनके द्वारा समर्पित की गई है। विपक्षी की ओर से अपने दावे की पुष्टि में JSMD C Dump Yard में भंडारित बालू का मापी प्रतिवेदन वो परियोजना पदाधिकारी जे0एस0एम0डी0सी0 द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ-साथ प्रश्नगत वाहन से संबंधित निम्नांकित कागजात समर्पित किया गया है:-

1. वाहन का R/c & Permit की छायाप्रति
2. वाहन चालक का Aadhar Card & Driving Licence की छायाप्रति
3. बीमा के कागजात एवं पथ कर के कागज
4. व्यवहार न्यायालय, गढ़वा से निर्गत बेल ऑर्डर

लोक अभियोजक गढ़वा की ओर से लिखित प्रत्युत्तर एवं केस दैनिकी (Case Diary) की प्रति दाखिल करते हुए मौखिक समर्पण किया गया कि दिनांक 10.6.2020 से 15.10.2020 तक बालू उठाव पर रोक के बावजूद भी उक्त वाहन द्वारा बालू उत्खनन वो उठाव स्थल पर जब्त किया



गया। सुनवाई के क्रम में Case Diary की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए उनके द्वारा कहा गया कि वाहन TRUCK Reg. UP64AT-7809 अवैध बालू उत्खनन एवं भंडारण के बीच पाया गया जो प्रदर्शित करता है कि उक्त वाहन अवैध बालू के उत्खनन एवं भंडारण में संलिप्त था। इतना ही नहीं जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा स्वयं घटना स्थल से उक्त वाहन को जब्त किया गया है। तर्क के क्रम में आगे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि Case Diary में वर्णित स्वतंत्र गवाह रमेश गुप्ता एवं बिंदु गुप्ता के उल्लेखित बयान से भी बालू के अवैध उत्खनन में संलिप्त होने की पुष्टि होती है। साथ ही सोनभद्र (उ०प्र०) का वाहन जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा घटना की तिथि को घटना स्थल से बालू उत्खनन में संलिप्त स्थिति में पकड़ा गया है। ऐसी स्थिति में राज्यसात की कार्यवाही सर्वथा उचित एवं विधिनुकूल है। तर्क में उनके द्वारा राज्यसात की कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक के सुनने के साथ साथ जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा को भी सुना गया। इस तरह विपक्षी द्वारा अपने को निर्दोष साबित करने के लिए इस तथ्य को लाया जा रहा है। सुनवाई के क्रम में उनके द्वारा जब्त वाहन का राज्यसात की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

इस प्रकार जिला खनन पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा राज्यसात करने संबंधी दिया गया प्रस्ताव, संलग्न प्राथमिकी की प्रति, दाखिल लिखित तथ्य,



विपक्षी की ओर से दाखिल जवाब एवं कागजातों के साथ-साथ विपक्षी के विज्ञा अधिवक्ता वो लोक अभियोजक एवं जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा को सुनने से स्पष्ट होता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (कोलकाता बेंच) द्वारा पारित आदेश OA no. 120/2016 EZ दिनांक 17.8.2016 तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Management Guideline, 2016 के आलोक में मानसून सत्र (दिनांक 10.6.2020 से 15.10.2020 तक) बालू का उठाव पूर्णतः वर्जित है। प्राथमिकी में स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक 15.6.2020 के पूर्वाह्न 3.00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर रंजित कुमार, लिपिक, जिला खनन कार्यालय गढ़वा एवं थाना प्रभारी, केतार व अन्य पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल के साथ ग्राम पाचाडूमर थाना केतार जिला गढ़वा स्थित सोन नदी बालू घाट पर औचक छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान बालू का उठाव वर्जित होने के बावजूद बालू का उत्खनन हो रहा था, जिसमें प्रयुक्त सूची संलग्न वाहन को जब्त करते हुए उनके चालकों को गिरफ्तार कर स्वस्थ हालत में आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपूर्द किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी की प्रति के साथ संलग्न जब्ती-सह-प्रस्तुती सूची एवं Case Diary के अनुसार इस वाद से संबंधित वाहन भी शामिल हैं। इस स्थिति में इस वाद से संबंधित वाहन TRUCK Reg. UP64AT-7809 को बालू का अवैध उत्खनन में लिप्त होने से नकारा नहीं जा सकता है। विपक्षी की ओर से



अपने दावे के समर्थन में कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस वाद से संबंधित वाहन जिला खनन पदाधिकारी गढ़वा द्वारा बालू के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के क्रम में जब्त किया गया है, जिसकी पुष्टि लोक अभियोजक द्वारा समर्पित Case Diary एवं उनके प्रत्युत्तर में वर्णित तथ्य से भी होती है।

साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथा Sunder Bhai Ambalal Desai Vrs. State of Gujrat reported as 2003(1) J.C.R.-153 के अनुसार जब्त सामग्री/वाहन को थाना परिसर में 60 (साठ) दिनों से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, जबकि उक्त कांड में जब्त वाहन थाना परिसर में अभी भी पड़ा हुआ है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित संपूर्ण तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत में इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि इस वाद से संबंधित वाहन TRUCK Reg. UP64AT-7809, जो केतार थाना कांड संख्या 48/2020 दिनांक 15.6.2020 से जब्त है, यद्यपि इस वाहन पर बालू लोड नहीं था, फिर भी उसे अवैध बालू उत्खनन व परिवहन में संलिप्त रहने से नकारा नहीं जा सकता है। साथ ही केतार थाना कांड संख्या 48/2020, जिसके तहत उक्त वाहन जब्त है, से संबंधित मामला व्यवहार न्यायालय गढ़वा में भी चल रहा है। वाहन से संबंधित समर्पित बीमा के कागजात के अनुसार वाहन का कुल मूल्य 1520000.00 (पन्द्रह लाख बीस हजार) है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त जब्त वाहन को निम्न शर्तों के साथ राज्यसात से मुक्त किया जाता है :-



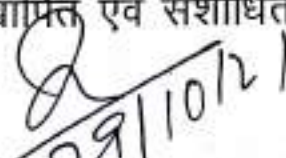
वाहन को निम्न शर्तों के साथ राज्यसात से मुक्त किया जाता है :-

1. 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये जिला नजारत गढ़वा में जमा करेंगे जो व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा पारित आदेश में दोषमुक्त होने की स्थिति में ही उन्हें वापस किया जायेगा।
2. दोष सिद्ध होने की स्थिति में राशि जब्त कर ली जायेगी।
3. वाहन मालिक श्री अनिल कुमार 3,00,000/- (तीन लाख) के Surety Bond के साथ Two Surety of like amounts (3-3 lakh) जिला नजारत, गढ़वा में दाखिल करेंगे। व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा आदेश पारित होने तक उक्त जब्त वाहन को न तो बिक्री करेंगे, न स्वरूप या रंग में परिवर्तन करेंगे और न व्यवहार न्यायालय के आदेश के बगैर अन्यत्र भेजेंगे।
4. साथ ही व्यवहार न्यायालय गढ़वा द्वारा मांग किये जाने की स्थिति में वाहन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त वर्णित आदेश का अनुपालन वाहन मालिक सुनिश्चित करेंगे।

उक्त वर्णित आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

लेखाप्रति एवं संशोधित


29/10/21
उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।


29/10/21

उपायुक्त-सह-
जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।